"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 दिसम्बर 2004—पौष 3, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक ई-1-2/2004/1/2.—अवकाश से लौटने के पश्चात् श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से. (1994) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्रीमती छिब्बर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 9 के तहत राज्य

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

दिनांक [illegible] 2004

क्रमांक ई-7/23/2004/1/2/लोक.--श्री [illegible] भा.प्र.से. को दिनांक 22-12-2004 से 7-1-2005 तक (17 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 8 एवं 9 जनवरी 2005 के शासकीय अवाकश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री कुजूर आगामी आदेश तक सचिव, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री कुजूर को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जुलाई 2004

क्रमांक/एफ-1-8/03/(6)52.--राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :—

अ. बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे.

ब. बोर्ड के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, संस्कृति विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग शासकीय सदस्य होंगे.

स. बोर्ड के संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुए शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा.

द. बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे.

इ. वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ही बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में समायोजित किया जावेगा.

उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

छत्तीसगढ़ शासन
ग्रामोद्योग विभाग
//अधिसूचना//

रायपुर, दिनांक 21-.07.2004

क्रमांक/एफ-1-8/03/(6)52, राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प की गतिविधियों के संचालन एवं विकास के लिए राज्य में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का निम्नानुसार गठन करता है :-

अ. बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ग्रामोद्योग मंत्री जी होंगे ।

ब. बोर्ड के संचालक मण्डल में प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, वित्त विभाग, संस्कृति विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग शासकीय सदस्य होंगे ।

स. बोर्ड के संचालक मण्डल में हस्तशिल्प एवं समाज सेवा से जुड़े हुए शिल्पियों/व्यक्तियों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया जा सकेगा ।

द. बोर्ड के प्रबंध संचालक, ग्रामोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव अथवा छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक ही होंगे ।

इ. वर्तमान में छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को ही बोर्ड के कर्मचारियों के रूप में समायोजित किया जावेगा ।

उपरोक्त अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Renu G. Pillay
(रेणु जी. पिल्ले)
विशेष सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग

राजपत्र क्रमांक (बत्र.)
24 NOV 2004

//2......

पृ.क्र./एफ-1-8/03/(6)52 रायपुर, दिनांक, 21-.7.2004

प्रतिलिपि :-

1. महामहिम राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजभवन रायपुर ।
2. सचिव, मुख्य मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, ग्रामोद्योग विभाग छत्तीसगढ़
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,रायपुर ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/समस्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर ।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, ग्रामोद्योग विभाग, मंत्रालय,भोपाल ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेड इंडस्ट्रियल डव्हलपमेंट कार्पोरेशन, बी-4 एम.आर. कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर ।
9. प्रबंध संचालक, म0प्र0 हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम मर्या. भोपाल ।
10. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कार्यालय .... ।
11. अपर संचालक, उद्योग, उद्योग संचालनालय, सोनाखान भवन, रायपुर ।
12. संचालक, ग्रामोद्योग संचालनालय, रेशम/हाथकरघा प्रभाग, रायपुर ।
13. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ ।
14. नियंत्रक, केन्द्रीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़ राजनांदगाव की ओर अग्रेषित । कृपया अधिसूचना का प्रकाशन आगामी राजपत्र में किया जाय तथा इस विभाग को 200 प्रतियां भेजें ।

Renu G. Pillay

विशेष सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग